कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

संख्याः- एसटी-316(आयोग-65)/2025

दिनांकः 28 अप्रैल, 2026

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
अल्पसंख्यक कल्याण भवन,
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला,
देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून
पत्र संख्या 102
दिनांक 11/5/2026
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

कृपया मा0 आयोग के पत्र संख्या 707/उअसंआ/24- वचन सिंह/सुनवाई/2025-26 दिनांक 16-01-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शिकायतकर्ता श्री वचन सिंह पुत्र श्री नवल सिंह निवासी ग्राम किलावली, थाना कुण्डा, ऊधम सिंह नगर के शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कुण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 188/2025 धारा 115(2)/190/191(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 बनाम गुरमेल सिंह व अन्य आदि की विवेचना का गुण-दोष के आधार पर शीध्र निस्तारण किये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी काशीपुर से आख्या प्राप्त की गयी, जिनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार शिकायतकर्ता श्री वचन सिंह उपरोक्त के शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कुण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 188/2025 धारा 115(2)/190/191(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 बनाम गुरमेल सिंह व अन्य आदि की सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त नामजद अभियुक्त अमनदीप सिंह व गुरमुख सिंह के विरुद्ध नाबालिक होने के कारण चालानी रिपोर्ट व अभियुक्त गुरमैल सिंह, रविन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह व हरगुन सिंह के विरुद्ध धारा 115(2)/190/191(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 13-12-2025 को आरोप पत्र संख्या 333/2025 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाना पाया गया है।

अतः प्रकरण में क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः-यथोपरि।

(जितेन्द्र चौधरी)
पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं यातायात
निमित्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
ऊधम सिंह नगर।